गुरुग्राम में अपशिष्ट प्रबंधन

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने **गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगमों को** गुरुग्राम के बंधवारी लैंडफिल **में कचरे के कुप्रबंधन** के लिये फटकार लगाई है।

मुख्य बिंदु

- **NGT का HSPCB को आदेश:**
  - NGT ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) **को** छह सप्ताह के भीतर नई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
  - रिपोर्ट में गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगमों से **पर्यावरण क्षतिपूर्ति की वसूली और इसका का विवरण बताना होगा।**
- **अपशिष्ट प्रबंधन पर असंगत योजना:**
  - NGT ने अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएँ स्थापित करने के लिये **नगर निगमों द्वारा कोई सुसंगत योजना न बनाए जाने की आलोचना की।**
  - इसमें कहा गया कि गुरुग्राम नगर निगम ने **पहले अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का प्रस्ताव दिया था,** लेकिन अब उसने अपना ध्यान टॉरफाइड चारकोल सुविधा **पर केंद्रित कर दिया है**, जिसके 2027 तक चालू होने की उम्मीद है।
- **बंधवाड़ी में कचरे का जमाव जारी:**
  - न्यायाधिकरण ने **बंधवाड़ी** लैंडफिल में कचरे में वृद्धि देखी।
    - 1 दिसंबर 2024 को गुरुग्राम में **8.84 लाख मीट्रिक टन (MT)** अप्रसंस्कृत कचरे की मौजूदगी दर्ज की गई थी, जो **31 मार्च 2025 तक बढ़कर 11.32 लाख MT हो** गई।

तपीकरण (torrefaction)

- यह बायोमास **को कोयले जैसी सामग्री में परिवर्तित करने** की एक **तापीय प्रक्रिया है**, जिसमें मूल बायोमास की तुलना में बेहतर ईंधन विशेषताएँ होती हैं।
- इस प्रक्रिया में भूसा, घास, आरा मशीन के अवशेष और लकड़ी के बायोमास को **250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है।**
- इससे बायोमास के तत्त्व **'कोयले जैसे' छर्रों में बदल जाते हैं।** इन छर्रों का इस्तेमाल स्टील और सीमेंट उत्पादन जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिये कोयले के साथ दहन के लिये किया जा सकता है।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

- **भारत सरकार के** जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, **1974 के** पारित होने के बाद जल की स्वच्छता बनाए रखने तथा जल प्रदूषण को रोकने के लिये वर्ष 1974 में हरियाणा सरकार द्वारा एक वैधानिक संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन मामलों के त्वरित समाधान हेतु एक विशेष निकाय है।

परिचय

- **स्थापना:** राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत
- **उद्देश्य:** पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन संबंधी मामलों का त्वरित समाधान
- **मामले का समाधान:** 6 माह के अंदर
- **मुख्यालय: नई दिल्ली (मुख्यालय)**, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई

संरचना

- **संरचना:** अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य
- **कार्यकाल:** 5 वर्ष तक/65 वर्ष की आयु तक (पुनर्नियुक्ति नहीं)
- **नियुक्तियाँ:** अध्यक्ष - केंद्र सरकार (भारतीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से)
  - 10-20 न्यायिक सदस्य और 10-20 विशेषज्ञ सदस्य - चयन समिति

भारत विश्व स्तर पर तीसरा देश है (ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद) साथ ही NGT जैसा विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला पहला विकासशील देश भी है।

शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र

- **अधिकार क्षेत्र:** पर्यावरण संबंधी मुद्दों और अधिकारों पर दीवानी मामले
- **स्वप्रेरणा से अधिकार (Suo Motu Powers):** वर्ष 2021 से प्रदान किये गए
- **भूमिका:** न्यायिक, निवारक और उपचारात्मक
- **प्रक्रिया:** प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है
  - CPC, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत बाध्य नहीं
- **सिद्धांत:** सतत् विकास; निवारक (Precautionary); प्रदूषक भुगतान (Polluter Pays)
- **आदेश:** सिविल कोर्ट के आदेशों के अनुसार निष्पादन योग्य; राहत और मुआवज़ा प्रदान करता है **(निर्णय बाध्यकारी हैं)**
- **अपील:** अधिकरण अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।
  - यदि निर्णय विफल हो जाता है - 90 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिये

NGT निम्नलिखित के तहत सिविल मामलों का समाधान करता है

- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
- जैव-विविधता अधिनियम, 2002

Drishti IAS